दूरभाष व फैक्सः (01342) 260434
ई–मेल :– robijnaur@uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालयः महर्षि दयानन्द नगर, निकट सैण्टमेरी स्कूल, आदमपुर–चक्कर रोड, बिजनौर–246701

सन्दर्भ सं0 : 1120/D-2/जनरल-2019 दिनांक : 08-11-2019

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
अमरोहा।

विषय–मैसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रस्तावित रिटेल आउटलेट संख्या–2958/1, 2, ग्राम–अमरोहा, तहसील व जिला–अमरोहा की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र सं0–1812/आबकारी सहायक/2019 दिनांक–11 अक्टूबर, 2019, जो कि इस कार्यालय में दिनांक 16.10.2019 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुक्रम में प्रस्तावित स्थल की स्थलीय जॉच करायी गयी। निरीक्षण आख्या के अनुसार रिटेल आउटलेट का स्थल संख्या–2958/1, 2, ग्राम–अमरोहा, तहसील व जिला–अमरोहा में स्थित है। रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) में एम0एस0 (पेट्रोल) 1×15 कि0ली0 एवं एच0एस0डी0 (डीजल) 1×20 कि0ली0 टैंकों की स्थापना एवं भण्डारण किया जाना प्रस्तावित है। रिटेल आउटलेट के प्रस्तावित स्थल (अक्षांश 28°54'23.45"N एवं देशांशन्तर 78°27'42.21"E) से पूरब दिशा में वफ्फ का कब्रिस्तान, पश्चिम दिशा में बिजनौर–अमरोहा रोड, उत्तर दिशा में खाली प्लाट तत्पश्चात् श्री राईस की दुकानएवं दक्षिण दिशा में श्री जाकिर अली का प्लाट स्थित हैं।

अतः उक्त इकाई को प्रस्तावित स्थल पर एम0एस0 (पेट्रोल) 1×15 कि0ली0 एवं एच0एस0डी0 (डीजल) 1×20 कि0ली0 टैंकों की स्थापना एवं भण्डारण हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन संस्तुति की जाती है।

शर्ते :–

1. इकाई द्वारा पेट्रोलियम टैंको का भण्डारण प्रस्तावित स्थल के सन्निकट स्थित विद्युत लाइन से यथासंभव दूरस्थ तथा अग्निशमन विभाग के प्राविधानों के अनुरूप किया जाये।
2. इकाई द्वारा पेट्रोल पम्प द्वारा बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1981 के अन्तर्गत सहमति प्राप्त की जाये।
3. इकाई का स्थल आबादी क्षेत्र में स्थित होने के कारण प्रस्तावित स्थल डी0जी0सेट की स्थापना किया जाना अनुमन्य नहीं है।
4. इकाई द्वारा पेट्रोलियम पदार्थो का भण्डारण/स्थापना एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट की मार्गदर्शिका के अनुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
5. आकस्मिक दुर्घटनाओं के बचाव हेतु आन साइट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर इसका अनुमोदन संबंधित विभाग से कराकर इस कार्यालय में तीन माह में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
6. इकाई द्वारा डीजल/पेट्रोल के वाष्पन के नियन्त्रण हेतु वेपर रिकवरी सिस्टम की स्थापना सुनिश्चित की जाए।
7. इकाई द्वारा प्रस्तावित स्थल का भू–प्रयोग व्यवसायिक प्रयोग हेतु सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय में तीन माह में प्रस्तुत किया जाये।

19-8-20 भवदीय,

कुमार अविनाश
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

(जे0पी0मौर्य)
क्षेत्रीय अधिकारी